



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 313]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 4, 2017/माघ 15, 1938

No. 313]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 4, 2017/MAGHA 15, 1938

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2017

का. आ. 346(अ).—विमानन नियमावली, 1937 के नियम 78 के परंतुकों के अनुसरण में और दिनांक 8, जनवरी, 2016 को भारत के राजपत्र, भाग-II खंड-3, उप खंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 8 जनवरी, 2016 की अधिसूचना का.आ. 91 (अ) का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि कोई भी 31 दिसंबर 2017, के बाद सैन्य हवाई अड्डा या हवाई अड्डा से/को अनुसूचित विमान परिवहन सेवाएं प्रचालित नहीं करेगा, जब तक कि हवाईअड्डा या सैन्य हवाई अड्डे नागर विमानन महानिदेशक द्वारा क्रमशः नियम 78 के उप नियम (1) एवं उप नियम (1क) द्वारा यथाअपेक्षित लाइसेंस प्राप्त या प्रमाणिकृत न हो।

[फा. स.एवी-11012/4/2005-ए]

अरुण कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st February, 2017

S.O. 346(E).—In pursuance of provisos to rule 78 of the Aircraft Rules, 1937, and in supersession of the notification No.S.O. 91(E) dated 08th January, 2016 published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated 08th January, 2016, the Central Government hereby directs that no person shall operate scheduled air transport services to/from an aerodrome including Defence aerodromes with effect from 31st December, 2017 unless it has been either licensed(Aerodrome) or certified (Defence aerodrome) by the Director General of Civil Aviation as required by the sub-rule (1) and sub-rule (1A) of rule 78 respectively.

[F.No.AV-11012/4/2005-A]

ARUN KUMAR, Jt. Secy.